

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

**67वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा**

67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 30.09.2022 को सम्पन्न प्रारंभिक परीक्षा में घोषित सफल अभ्यर्थियों (दिनांक 17.11.2022) से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) दिनांक-21.11.2022 से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

**रिक्ति :** कुल रिक्तियों की संख्या 802 है जिसका विवरण संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 24.09.2021 एवं उसके क्रम में दिनांक 07.10.2021, 03.11.2021, 16.12.2021, 28.12.2021 एवं 04.02.2022 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में दिया गया है, जिसकी समेकित विवरणी निम्नवत है:-

क्र. सं.	विभाग/पद/संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियों						कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	
			अनारक्षित (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिला (06)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)
महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या												
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (अनुमण्डल पदाधिकारी/वरीय उपसमाहर्ता एवं समकक्ष) सामान्य प्रशासन विभाग	Level -9	35	14	01	15	11	03	09	88	02	VI - 01 DD - 01 OH - 01 MD - 01
			13	06	00	06	04		02	31		
2.	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	Level -9	14	02	00	02	00	00	02	20	00	00
			02	01	00	02	00		01	06		
3.	राज्य-कर-सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य-कर-विभाग	Level -9	13	03	00	02	01	00	02	21	01	MD - 01
			03	01	00	01	01		01	07		
4.	काराधीक्षक, (बिहार कारा सेवा), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा)	Level -9	01	00	00	00	01	00	01	03	00	00
			01	00	00	00	00		00	01		
5.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (बिहार निर्वाचन सेवा) निर्वाचन विभाग	Level -9	02	01	00	00	00	01	00	04	00	00
			00	01	00	00	00		00	01		
6.	बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग	Level -9	01	02	00	02	05	01	01	12	00	00
			00	01	00	01	01		00	03		
7.	अधीक्षक मद्य निषेध, (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग)	Level -9	01	00	00	01	00	00	00	02	00	00
			00	00	00	00	00		00	00		
8.	अवर निबंधक/ संयुक्त अवर निबंधक, (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग)	Level -9	04	01	00	00	00	00	00	05	00	00
			00	00	00	00	00		00	00		
9.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी (राजपत्रित), (बिहार नियोजन सेवा) श्रम संसाधन विभाग	Level -9	00	00	00	02	00	00	00	02	00	00
			00	00	00	00	00		00	00		
10.	श्रम अधीक्षक, (बिहार श्रम सेवा) श्रम संसाधन विभाग	Level -9	01	00	00	00	01	00	00	02	00	00
			00	00	00	00	00		00	00		
11.	प्रोबेशन पदाधिकारी (बिहार प्रोबेशन सेवा) गृह विभाग (कारा)	Level -9	02	02	00	00	00	00	00	04	00	00
			01	00	00	00	00		00	01		
12.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, (बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा) समाज कल्याण विभाग	Level -9	05	01	01	01	03	00	01	12	00	VI - 01
			02	01	00	00	01		00	04		

क्र. सं.	विभाग/पद/संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्रियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग
			अनारक्षित (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिला (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)			
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्रियाँ की संख्या									
13.	सहायक निदेशक, (बिहार बाल संरक्षण सेवा) बाल संरक्षण सेवा, समाज कल्याण विभाग	Level -9	00	02	00	00	02	00	00	04	00	00
			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14.	सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (बिहार योजना सेवा) योजना एवं विकास विभाग	Level -9	22	10	00	09	04	02	05	52	01	VI - 01 DD - 01
			08	03	00	03	01	01	01	16	01	01
15.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, (बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा) सहकारिता विभाग	Level -9	02	01	00	01	00	00	01	05	00	00
			01	01	00	01	00	00	00	03	00	00
16.	सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग	Level -9	03	00	01	00	03	02	00	09	00	00
			01	00	00	00	00	00	00	01	00	00
17.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)	Level -7	25	11	00	18	02	02	07	65	01	VI - 01 OH - 01 MD - 01
			08	04	00	05	01	02	02	20	01	01
18.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), ग्रामीण विकास विभाग	Level -7	59	19	02	22	14	04	13	133	03	VI - 02 DD - 01 OH - 01 MD - 01
			18	07	01	08	05	04	04	43	03	03
19.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, (बिहार नगरपालिका सेवा), नगर विकास एवं आवास विभाग	Level -7	45	17	01	18	13	05	11	110	02	VI - 01 DD - 01 OH - 01 MD - 01
			15	06	01	07	04	05	04	37	02	02
20.	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	Level -7	13	05	00	05	10	00	03	36	01	DD - 01
			05	01	00	01	01	00	01	09	01	01
21.	आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	Level -7	04	00	00	00	00	00	00	04	00	00
			01	00	00	00	00	00	00	01	00	00
22.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग	Level -7	08	00	00	03	05	00	02	18	00	MD - 01
			02	00	00	01	01	00	01	05	00	00
23.	अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	Level -7	55	22	02	25	17	04	14	139	03	VI - 02 DD - 02 OH - 01 MD - 01
			20	08	00	09	06	04	04	47	03	03
24.	प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	Level -7	20	06	00	10	12	00	04	52	01	VI - 01 MD - 01
			05	02	00	04	02	00	01	14	01	01
Total			335	119	08	136	104	24	76	802	15	VI - 10 DD - 07 OH - 05 MD - 08
			106	43	02	49	28	24	22	250	15	15

### मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

मुख्य (लिखित) परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः 1. सामान्य हिन्दी – 100 अंक, इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी तथा सामान्य अध्ययन (पत्र-1 एवं पत्र-2), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों के विषय कोड- 04 से विषय कोड- 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा, जो 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा तीन घंटे की होगी।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोड:-

1. सामान्य हिन्दी (01)
2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02)
3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03)

(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोड:-

क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू-विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में किया जा चुका है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में प्रारम्भिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं।

टिप्पणी- (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

(ii) सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है; अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

(iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

- (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा नि:शक्ता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

**सेवा/पद अधिमानता (Service/Post Choice):-**

मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार को सेवा/पद की अधिमानता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

**व्यक्तित्व परीक्षण:-**

- (i) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।  
(ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

**चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच:-**

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रु. (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

**मेधा सूची:-**

- (i) मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल- 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।  
(ii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में वरीयता दी जायेगी। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।  
(iii) मेधाक्रम उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।  
(iv) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।  
(v) साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (X) करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।  
साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी सेवा/पद के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची में रहने एवं सेवा/पद उपलब्ध रहने के बावजूद भी आपको सेवा/पद आवंटित नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**उम्मीदवारों का मंतव्य:-**

ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित 7 बिन्दुओं पर अभ्यर्थियों से उनका मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा:-

- (i) Optional Paper Should Be replaced by a common paper of Essay.  
(ii) Optional Paper Should Be Only Qualifying In Nature And Its Marks Should Not Be Considered In Determining Merit List.  
(iii) Optional Paper Should Be MCQ Type Instead Of Written Type.  
(iv) Statistical Formulation Should Be Used Even Though Such A Method Would Be Imperfect And Inaccurate Due To Small Number Of Candidates In Various Optional Papers.  
(v) Statistical Formulation Should Be Used With Clubbing Of Optional Papers Having Very Few Candidates To Somewhat Improve Its Accuracy Even Though Such A Method Would Still Be Imperfect And Inaccurate.  
(vi) There Should Be Scaling/ Normalisation But Not Sure How To Do It.  
(vii) There Should Not Be Any Scaling / Normalisation. Let the present System Continue.

यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणार्थ है। मंतव्य के आधार कोई निर्णय लेना/नहीं लेना आयोग का क्षेत्राधिकार होगा।

- ❖ वैसे अभ्यर्थी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।  
❖ संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

## मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु आवश्यक निदेश

### 1. आरक्षण:

- (i) जाति के आधार पर आरक्षण की लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 एवं परिपत्र सं.-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
- (a) जाति प्रमाण पत्र  
(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
- (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र  
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म-X) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।**
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।  
यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।**
- (ii) आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत है :-
- | क्र.सं. | आरक्षित कोटि                   | आरक्षण कोड |
|---------|--------------------------------|------------|
| 1.      | अनुसूचित जाति (SC)             | 02         |
| 2.      | अनुसूचित जनजाति (ST)           | 03         |
| 3.      | अति पिछड़ा वर्ग (EBC)          | 04         |
| 4.      | पिछड़ा वर्ग (BC)               | 05         |
| 5.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 07         |
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35% शैतिज आरक्षण देय होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10668, दिनांक 29.06.2022 के आलोक में दिव्यांगों को विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्वद से निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।  
**अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।**  
बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को शक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

नोट:- 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट जाति के आधार पर आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आधार पर आरक्षण के लिए किये गये दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

2. **शुल्क:-**

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- पूर्व में लोहार जाति का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को (EBC) सामान्य अभ्यर्थियों के समान शुल्क अर्थात् 750/- (सात सौ पचास मात्र) रुपये जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक शुल्क के रूप में ले लिया जायेगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाम का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

3. **ऑनलाईन आवेदन पत्र से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-**

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक : 21.11.2022
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक : 06.12.2022

नोट:- ऑनलाईन आवेदन भरने (Submit) के बाद सुधार (Edit) करने का Link उपलब्ध होगा, जो ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा।

मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाईन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी तथा **वैकल्पिक विषय, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि एवं आधार संख्या में परिवर्तन का प्रावधान रहेगा।** शेष सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन करते समय कड़िका-19 (Column-19) में प्राथमिकता के आधार पर सेवा/पद (क्रम संख्या-01 से 24) का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।**


उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न हैं:-

- (i) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।  
ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile No. तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी, इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (iii) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (iv) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (v) मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है। अभ्यर्थी शुल्क भुगतान के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे। ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य नहीं होगा।

- (vi) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी को स्वयं के पास रखना सुनिश्चित करेंगे।
- (vii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (viii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्डकॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

**महत्वपूर्ण निर्देश:-**

- (i) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
- (ii) स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र;
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र;
- (iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म-X);
- (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची -1 (प्रपत्र -1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र;
- (vi) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पंषद द्वारा निर्गत (वैद्य) निःशक्तता प्रमाण पत्र;
- (vii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र;
- (viii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र;
- (ix) भूतपूर्व सैनिक/ NCC के पूर्णकालिक कैडेट संबंधी प्रमाण-पत्र;
- (x) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हों तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
- (xi) फोटो युक्त पहचान पत्र
4. योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है।
5. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
6. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
7. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
8. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों को मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए अलग से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा। मूल प्रमाण-पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

  
18/11/22  
परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना